पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड/
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्,
पं0दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट ओ0एन0जी0सी0हैलीपैड, नीम्बूवाला गढ़ीकैण्ट देहरादून।

Ph.0135-2559898, Fax-0135-2559988, E-mail-tourismkarmik@gmail.com

संख्याः- /2-2-545/2018 देहरादूनःदिनांक 26 अक्टूबर, 2018

-ःकार्यालय आदेशः-

सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-156/ XLIII(1)/2018-20(04)/ 2016, दिनांक 03 अगस्त, 2018 द्वारा पर्यटन विभाग की निम्न 03 सेवाएं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0-20, वर्ष 2011) की धारा 03 के अन्तर्गत राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराये जाने तथा सेवाओं के लिये पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी को निम्नवत् नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	नामित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
01	राफ्टिंग हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी	(तकनीकी समिति के निरीक्षण के पश्चात्) 45 दिन	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
02	अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास(होम स्टे) योजना का पंजीकरण	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	30 दिन	जिलाधिकारी	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
03	उत्तराखण्ड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2014 यथा संशोधित 2016 के अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन इकाईयों का पंजीकरण	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	60 दिन	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन विभाग की उक्त वर्णित सेवाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण आदि की सरलता हेतु निम्न व्यवस्थायें ससमय सुनिश्चित की जायेंगीः-

1-अधिसूचित सेवा से संबंधित प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय परिसर में संबंधित सेवाओं के सूचना-पट्ट लगाने की व्यवस्था शासनादेश सं0-1389/XXXI(13)G/2011, दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के प्रारूप-1 के अनुसार सुनिश्चित करेगें।

2-आवेदन-पत्र की प्राप्ति, जारी किये जाने की व्यवस्था शासनादेश सं0-68/XXXI(1)/ 17-20(06), दिनांक-21.02.2017 में दिये गये प्रारूप-2 के अनुसार की जायेगी।

क्रमशः-2

3– पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के स्तर पर रखी जाने वाली पंजिकाओं को शासनादेश सं0–1389 / XXXI(13)G / 2011, दिनांक 01 नवम्बर, 2011 में दिये गये प्रारूप सं0–3 से 5 के अनुसार अभिलिखित किया जायेगा।

4–उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम से संबंधित मासिक प्रगति सूचना को पदाभिहित अधिकारी से संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त को एवं मण्डलायुक्त के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही हेतु अधिसूचित सेवाओं से संबंधित प्रकरणों / आवेदनों के निस्तारण से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन के संलग्न प्रारूप में पदाभिहित अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें।

5–सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।

6–सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से यथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।

7–उक्त सेवाऐं तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी।

ह0/-

(दिलीप जावलकर)
निदेशक पर्यटन /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

पृ0प0सं0–325 / 2018, समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर मुख्य सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3–सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, 39 / 1, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6–समस्त मुख्यविकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7–समस्त अधिकारी, पर्यटन मुख्यालय।
8–समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
9–समस्त अनुभाग प्रभारी, पर्यटन मुख्यालय।
10–आदेश पंजिका।

26/11

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
कार्यालयाध्यक्ष।

उत्तराखण्ड
पर्यटन

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

पं0 दीनदयाल उपाध्याय, पर्यटन भवन,
निकट ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड, गढीकैन्ट, देहरादून।
फोन–0135–2559898,फैक्स–0135–2559988

संख्याः– 1220(1) /2–2–208–2016–19 देहरादूनःदिनांक 18 जुलाई, 2019

उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग की निम्न 03 सेवाएं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 के अन्तर्गत जनसामान्य को नियत समय–सीमा में उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिसूचित की गयी है। अधिसूचित सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु नामित पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में सूचनाएं निम्नानुसार विभागीय वेबसाईट में जनसामान्य के उपयोग हेतु अपलोड की जा रही है–

क0 सं0	अधिसूचित सेवा	नामित पदाभिहित अधिकारी पदनाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	पदाभिहित अधिकारी का दूरभाष नं0	पदाभिहित अधिकारी का ईमेल
1	राफ्टिंग हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करना	कार्यालयाध्यक्ष	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकरी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0135–2559898	traveltradeutdb@gmail. com
2	अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना का पंजीकरण	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।	जिलाधिकारी	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0135–2653217	rtotourismddn@gmail.com
3	उत्तराखण्ड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2014 यथा संशोधित 2016 के अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन इकाईयों का पंजीकरण	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, हरिद्वार।	जिलाधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01334–265304	dtdoharidwar@yahoo.com
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टिहरी।	जिलाधिकारी	–ऐ0–	01376–233240	dtdotehri@gmail. com
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी,उत्तरकाशी	जिलाधिकारी	–ऐ0–	01374–223130	dtdouki5@gmail.com
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी,रूद्रप्रयाग।	जिलाधिकारी	–ऐ0–	01364–233937	jpva_rpg@rediffmail. com
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी।	जिलाधिकारी	–ऐ0–	01368–221900	pauritouristoffice@gmail. com
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली।	जिलाधिकारी	–ऐ0–	01389–253185	tourismchamoli@gmail. com
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।	जिलाधिकारी	–ऐ0–	05962–230180	regionaltouristoffice@ gmail.com
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नैनीताल।	जिलाधिकारी	–ऐ0–	05942–235337	deputydirectortourismnainital@gmail.com
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी, बागेश्वर।	जिलाधिकारी	–ऐ0–	05963–221562	dtdobageshwar gmail.com
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चम्पावत।	जिलाधिकारी	–ऐ0–	05965–230295	tourismchampawat@gmail.com
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी,पिथौरागढ़	जिलाधिकारी	–ऐ0–	05964–225527	tourismpithoragarh@gmail.com
		जिला पर्यटन विकास अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।	जिलाधिकारी	–ऐ0–	05944–250838	tourismusn@gmail. com

18/07

(नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल)
कार्यालयाध्यक्ष।